निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30 / 2020	07.9.2020	26.2.2021

1.किरोडी पुत्र देवला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
2.झुम्मन पुत्र देवला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
3.पतरी देवी पत्नि भरोसी जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
4.भरोसी पुत्र देवला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर

——वादीगण

बनाम

1.हरकेश पुत्र काला जाति मीना निवासी पीलोदा
2.बलराम उर्फ गुड्डू पुत्र हरकेश जाति मीना निवासी पीलोदा

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0टी0एक्ट

उपस्थित :— श्री मो0 इस्लाम एडवोकेट वादीगण की और से
श्री दानसिहं मीना एडवोकेट प्रतिवादीगण की और से

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि हाल खसरा नं0 71 रकबा 0.18 हैक्टर,89 रकबा 3.30 हैक्टर,ग्राम शेखपुर में स्थित है। वादीगण की खातेदारी भूमि के पास में ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के पास में ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0 767/90 रकबा 0.95 हैक्टर स्थित है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं,जिन्हें कानून की कोई परवाह नही है,ये आये दिन वादीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करते रहते हैं तथा डोलमेडों को भी तोड देते हैं।यह कि वादी गण ने भूमि क्रय की है तभी से अपने खेत पुरानी डोल कर रखी हे लेकिन दिनांक 25.7.2020 को वादीगण की गैरमौजूदगी में प्रतिवादीगण ने जे0सी0बी0 से वादीगण की करीब 200 फीट लम्बी तथा करीब 4 फीट उंची डोल को तोड दिया,वादीगण को जब पता चला तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को डोल तोडने का उलाहना दिया,तो प्रतिवादीगण झगडा करने पर आमादा हो गये तथा वादीगण को धमकी दी है कि वे भविष्य में भी फसल से लाभांवित नही होने देगें। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं,जिन्हें कानून की कोई परवाह नही है। इसलिए इन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)

है कि वादकारण दिनांक 25.7.2020 को वादीगण के खेत की डोल को प्रतिवादी गण द्वारा जे0सी0बी0 की सहायता से तोड देने से पैदा हुआ है। यह कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे वादीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0 89 रकबा 3.30 हैक्टर स्थित ग्राम शेखपुर के कब्जेकाश्त वादीगण में ना तो स्वंय बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें। अन्य प्रतिकार जो न्यायोचित हो वादीगण को दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण 1 व 2 दिनांक 24.9.20 को स्वंय उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश करने को समय चाहा । तत्पश्चात् दिनांक 2.12.2020 को प्रतिवादीगण की और से श्री दान सिहं मीना एडवोकेट ने वकालत नामा पेश कर जवाब को समय चाहा । दिनांक 4.2.2021 को दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की ।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या 109 पेश की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई । वादीगण के अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए अपने वाद का समर्थन किया है तथा उसके समर्थन में अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या 109 को वर्णित किया है तथा अपना दावा डिकी करने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण की और से उनके अभिभावक ने वादीगण की भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नही होने का मौखिक कथन किया तथा जवाब दावा व कोई दस्तावेज पेश नही कर दावा वादीगण को डिकी करने में अपनी सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकल किया गया एवं बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई । दावा वादीगण सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिकी किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित भूमि खसरा नंम्बर 71 रकवा 0.18 हैक्टर,89 रकवा 3.30 हैक्टर ग्राम शेखपुर तहसील वजीरपुर के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1.किरोडी पुत्र देवला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।
2.झुम्मन पुत्र देवला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।
3.पतरी देवी पत्नि भरोसी जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।
4.भरोसी पुत्र देवला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।

——वादीगण

बनाम

1.हरकेश पुत्र काला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।
2.बलराम उर्फ गुड्डू पुत्र हरकेश जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो0इस्लाम एडवोकेट वादीगण की और से
श्री दानसिहं मीना एडवोकेट प्रतिवादीगण की और से

मुकदमा नं. — 30/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मो0 इस्लाम एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई व श्री दानसिहं मीना एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 71 रकवा 0.18 हैक्टर, 89 रकवा 3.30 हैक्टर ग्राम शेखपुर तहसील वजीरपुर के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.2.2021 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर